



# श्री मनसुख एल. मांडविया मांडविया ने कहा, जीएसटी के लागू होने के बाद आवश्यक दवाओं की कोई कमी नहीं, बिना किसी दिक्कत के आपूर्ति को बनाए रखा जा रहा है

Posted On: 28 JUL 2017 7:38PM by PIB Delhi

केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग, जहाजरानी तथा रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख एल. मांडविया ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स ऐंड ड्रगिस्ट्स (एआईओसीडी) से प्राप्त जानकारी के मुताबिक आवश्यक दवाओं की कोई कमी नहीं है और बिना किसी दिक्कत या बाधा के इनकी आपूर्ति बनी हुई है।

श्री मांडविया ने सदन को बताया कि अगर किसी दवाई की कमी है, तो लोगों को इसकी सूचना देने के लिए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) द्वारा सुविधाएं दी गई हैं। हेल्पलाइन नंबर 1800111255, फार्मा जन समाधान, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर (9695736333) और ट्विटर हैंडल ([https://twitter.com/nppa\\_india](https://twitter.com/nppa_india)) के जरिए इसकी सूचना दी जा सकती है।

मंत्री महोदय ने कहा कि एनपीपीए को जुलाई के पहले हफ्ते में व्हाट्सएप के जरिए कुछ दवाओं की अनुपलब्धता की कुछ शिकायतें मिली थीं। लेकिन इन दवाओं की अनुपलब्धता की वजह जीएसटी लागू होना नहीं था। हालांकि इन सभी मामलों में संबंधित कंपनियों से शिकायतकर्ताओं से संपर्क करने और उस तक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।

श्री मांडविया ने बताया कि एनपीपीए ने हाल ही में जीएसटी के चलते अनुसूचीबद्ध दवाओं की मूल्य सीमा को संशोधित किया है और उत्पाद मूल्यों के स्तर तक मूल्य सीमा को कम किया है।

\*\*\*

वीके/पीवी/वाईबी- 3198

(Release ID: 1497694) Visitor Counter : 5

